राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 19)

[**30 जुलाई, 2021**]

खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने तथा खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान का उपबंध करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

कतिपय संस्थाओं की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषणा ।

2. अनुसूची में उल्लिखित संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं । अतः, यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से किसी संस्थान के सम्बन्ध में धारा 11 में निर्दिष्ट शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "तत्स्थानी संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी संस्थान के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई संस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) "परिषद्" से धारा 28 के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "निदेशक" से धारा 19 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "विद्यमान संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) "निधि" से धारा 33 के अधीन बनाई रखी जाने वाली संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ज) "संस्थान" से अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है ;

(झ) "सदस्य" से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) "कुलसचिव" से धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "सिनेट" से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

(ण) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत विद्यमान संस्थान अभिप्रेत है ; 1860 का 21

(त) किसी संस्थान के सम्बन्ध में "परिनियम और अध्यादेश" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थानों का निगमन ।

4. इस अधिनियम प्रारम्भ के तारीख से ही, अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित प्रत्येक संस्थान का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उसके विरूद्ध वाद लाया जाएगा ।

संस्थाओं के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ के तारीख से ही,—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में विद्यमान संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश है ;

(ख) किसी विद्यमान संस्थान की या उससे सम्बन्धित सभी चल और अचल संपतियां तत्स्थानी संस्थान में निहित हो जाएंगी ;

(ग) किसी विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व, तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व हो जाएंगे ;

(घ) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति तत्स्थानी संस्थान में अपना पद या सेवा, उसी सेवा धृति के साथ, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा, जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता है, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और तब तक इस प्रकार धारण करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी सेवाधृति, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परंतु यदि इस प्रकार का किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उक्त कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संस्थान द्वारा उसको संदाय करके संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज के अधीन विद्यमान संस्थान के निदेशक या कुलपति और अन्य अधिकारियों के प्रति कोई निर्देश, चाहे किन्हीं भी शब्दों में हों, का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रति निदेश है ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी विद्यमान संस्थान में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस संस्थान से, जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रव्रजन किया है, पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी संस्थान को प्रव्रजन कर लिया है और उसके पास रजिस्ट्रीकृत हो गया है ; और

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाइयां या जो उसके द्वारा या उसके विरूद्ध संस्थित किए जा सकते थे, तत्स्थानी संस्थान द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

संस्थानों की शक्तियां और कृत्य ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रबंध की ऐसी किन्हीं अन्य शाखाओं में, जिसे संस्थान ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान के लिए और ऐसी शाखाओं में विद्या के अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ;

(ग) मानद डिग्रियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(घ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(ङ) छात्रों के निवास के लिए छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उनका रखरखाव और प्रबंध करना ;

(च) संस्थान के सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों और छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सांस्कृतिक और सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(छ) छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों के रखरखाव के लिए उपबंध करना ;

(ज) शैक्षणिक और अन्य पदों को संस्थित करना और निदेशक के सिवाय उन पर नियुक्तियां करना ;

(झ) संस्थान से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में ऐसी रीति से संव्यवहार करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ठीक समझे ;

(ञ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या अंतरकों से चल या अचल संपत्ति की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त करना;

(ट) विश्व के किसी भी भाग में ऐसी शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनका उद्देश्य पूर्णतया या भागतः अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा संस्थान के उन उद्देश्यों के समरूप है और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के सहायक हों, सहकार करना और उनका सहयोग करना;

(ठ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायता वृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ; और

(ड) ऐसी सभी बातें करना, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई संस्थान केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अचल संपत्ति का किसी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

संस्थान का सभी मूलवंश, पंथ और वर्गों के लिए खुला होना ।

7. (1) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों या कर्मकारों को प्रवेश देने या नियुक्त करने में या किसी भी अन्य बात के सम्बन्ध में, वह चाहे जो भी हो, धार्मिक विश्वास या मान्यता के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरूद्ध शर्तें या बाध्यताएं अंतर्ग्रस्त हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व उसके प्रास्पेक्टस के माध्यम से प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संस्थान को महिलाओं, दिव्यांगजनों या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के और विशिष्टितया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करती है :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक संस्थान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगा ।

2007 का 5

संस्थानों का अलाभकारी विधिक इकाई होना ।

8. (1) प्रत्येक संस्थान एक अलाभकारी विधिक इकाई होगा और ऐसे संस्थान के राजस्व में के अधिशेष के, यदि कोई हो, किसी भाग को, इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के विषय में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, ऐसे संस्थान की अभिवृद्धि और विकास अथवा उसमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी आत्म-निर्भरता और संधारणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

संस्थानों में शिक्षण ।

9. प्रत्येक संस्थान में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 3

संस्थानों के प्राधिकारी

संस्थानों के प्राधिकारी ।

10. संस्थान के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड ;

(ख) सिनेट ; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

शासी बोर्ड ।

11. (1) प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) खाद्य उद्योग या शिक्षा या आहार विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में विशिष्ट ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष ;

(ख) संस्थान का निदेशक—सदस्य, पदेन ;

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले दो प्रतिनिधि—सदस्य ;

(छ) भारतीय प्रबंध संस्थान से एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन ;

(ज) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन ;

(झ) संस्थान का संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन ;

(ञ) भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(ट) आचार्यों, सह-आचार्यों और सहायक आचार्यों में से ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम से संस्थान के तीन संकाय सदस्य—सदस्य, पदेन ;

(ठ) सम्बद्ध राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य, पदेन ;

(ड) संस्थान का कुलसचिव—सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) अध्यक्ष को किन्हीं ऐसे विशेषज्ञों को, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसे आमंत्रित को बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

12. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना ;

(ख) संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना ;

(ग) संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना तथा ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों की पहचान करना ;

(घ) अध्ययन के विभागों, संकायों या विद्यालयों की स्थापना करना और संस्थान में अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को आरंभ करना ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् देश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध क्षेत्र केन्द्रों को स्थापित करना ;

(च) डिग्रियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या पदनाम देना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित और प्रदान करना ;

(छ) ऐसी रीति में मानद् उपाधियां देना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ज) मानद् पुरस्कार और अन्य उपाधियां देना ;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों को सृजित करना और विनियमों द्वारा सेवा की अर्हता, वर्गीकरण, उसके निबंधन और शर्तें तथा ऐसे पदों की नियुक्ति की पद्धति का अवधारण करना ;

(ञ) भारत से बाहर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसे विदेश में तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध क्षेत्र केंद्र स्थापित करना ;

(ट) संस्थान के निदेशक को, ऐसे उद्देश्यों के पालन के आधार पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिवर्तनीय वेतन का संदाय करना ;

(ठ) परिनियम बनाना, उनका संशोधन और निरसन करना ;

(ड) अध्यादेशों पर विचार करना और उनका उपांतरण करना या उन्हें रद्द करना ; और

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या समनुदेशित किए जाएं ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, परिनियमों द्वारा, बोर्ड की ऐसी शक्तियां और कृत्यों को, निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(4) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धियों के संदर्भ में निदेशक के कार्य का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा :

परन्तु ऐसे पुनर्विलोकन में, ऐसे मानदंडों के आधार पर, संस्थान के संकाय सदस्यों के कार्य का पुनर्विलोकन, नियतकालिकता और सौंपे गए कृत्य, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ।

(5) बोर्ड, संस्थान के निगमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका संकाय भी है, कार्य का, दीर्घकालिक रणनीति के मानदंडों और संस्थान की प्रवाही आयोजना तथा ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर जैसा बोर्ड विनिश्चय करे, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ समूह की अर्हता, अनुभव और चयन की रीति वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(7) उपधारा (5) के अधीन मूल्यांकन और पुनर्विलोकन की रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को, उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसके द्वारा की जाने वाली अगली कार्रवाइयों के सम्बन्ध में बोर्ड को सुझाव दे सकेगी ।

(8) जहां अध्यक्ष या निदेशक की राय में, स्थिति इतनी आपातिक है कि संस्थान के हित में तुरन्त विनिश्चय किया जाना आवश्यक है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से, अपनी राय के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसे आदेश, बोर्ड द्वारा अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(9) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, केन्द्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होगा और केन्द्रीय सरकार नीति विषयक मामलों पर लोकहित में बोर्ड को निदेश जारी कर सकेगी ।

(10) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए और अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

13. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न कोई पद छोड़ने वाला सदस्य, जब तक कि परिषद् अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशित किए जाने तक या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के सदस्य ऐसे भत्तों के लिए हकदार होंगे, जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

14. जब अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति, चाहे वह हटाए जाने, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण उद्भूत होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

सदस्यों का त्यागपत्र ।

15. अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले ही छोड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इसमें जो भी सबसे पहले हो, पद धारण करता रहेगा ।

सिनेट ।

16. (1) सिनेट, संस्थान का प्रधान शिक्षण निकाय होगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) निदेशक — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) कुलसचिव — सदस्य, पदेन ;

(ग) संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा उस रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्यों के स्तर पर सभी पूर्णकालिक संकाय — सदस्य, पदेन ;

(घ) ऐसे तीन व्यक्तियों को, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं है, ख्याति प्राप्त विद्वानों में से निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, जिनमें से एक-एक आहार विज्ञान, प्रबंधन और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होगा — सदस्य ; और

(ङ) कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं — सदस्य, पदेन ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की होगी ।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

सिनेट के कृत्य ।

17. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संस्थान का सिनेट, संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों पर नियंत्रण रखेगी और साधारण विनियमन करेगी और उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षान्त समारोहों की साधारणतया अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

निदेशक ।

19. (1) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

(2) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा शिक्षा प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) निदेशक, बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को प्रस्तुत करेगा ।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

कुलसचिव ।

20. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा जिसे बोर्ड उसके भार साधन में सुपुर्द करे ।

(2) कुलसचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

अन्य प्राधिकारी और अधिकारी ।

21. ऊपर उल्लिखित वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

नियुक्तियां ।

22. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में सहायक आचार्य या उसके ऊपर के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति अशैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में किसी ऐसे पद पर की जाती है जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 से ऊपर है तो बोर्ड द्वारा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा,

की जाएंगी ।

परिनियम ।

23. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) मानद् उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ख) शिक्षण विभागों का बनाया जाना ;

(ग) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री एवं डिप्लोमा हेतु परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ङ) अर्हताएं, वर्गीकरण, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों पर नियुक्ति की पद्धति ;

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना करना ;

(छ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(ज) छात्र-निवास और छात्रावासों की स्थापना और उनका रखरखाव करना ;

(झ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों को प्रभारित करना ;

(ञ) बोर्ड के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ट) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ठ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(ड) संस्थान की वित्तीय जवाबदेही ;

(ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ण) कोई ऐसा अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है या परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

24. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति इसके बनाए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसका अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड के विचारण के लिए भेज सकेगी ।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन नहीं हो जाता है ।

अध्यादेश ।

25. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमा के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उन डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करने की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किए जाएं ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

26. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदेशित करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश इसके बनाए जाने के पश्चात्,

यथाशक्य शीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार करेगा ।

(3) बोर्ड के पास संकल्प द्वारा किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से यथास्थिति, तद्नुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

माध्यस्थम् अधिकरण ।

27. (1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संबद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबद्ध कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा में की गई कोई बात, यथास्थिति, कर्मचारी या संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ लेने से निवारित नहीं करेगी ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण को स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) माध्यस्थम् से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 4

परिषद्

परिषद् की स्थापना ।

28. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे परिषद् कहा जाएगा ।

(2) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारसाधक मंत्री, केन्द्रीय सरकार — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार —सदस्य, पदेन ;

(ग) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण —सदस्य, पदेन ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो वित्त से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार — सदस्य, पदेन ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था— सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार — सदस्य, पदेन ;

(छ) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तीन ख्यातिप्राप्त प्रतिनिधि,— सदस्य ;

(ज) ऐसे तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हों, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं— सदस्य ;

(झ) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे —सदस्य :

परंतु परिषद् के सदस्य का पद, संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए, उसके धारक को निरर्हित नहीं करेगा ;

(ञ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार —सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, सदस्यों में से एक सदस्य को परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहीत कर सकेगी ।

परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

29. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी :

परंतु धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि वैसे ही यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगी जैसे ही सदस्य, मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है या उस सदन का, जिससे वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रह जाता है ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

(3) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (छ) और खंड (ज) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पदधारण करेंगे ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य की रिक्ति ऐसी रीति में भरी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक बनी रहेगी जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है ।

(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न, पद छोड़ने वाला सदस्य जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता है या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करता रहेगा ।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

(8) पदेन सदस्य से भिन्न, परिषद् के किसी सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से, ऐसी परिस्थितियों और ऐसी रीति से हटाया जा सकेगा, जो विहित की जाएं ।

परिषद् के कृत्य ।

30. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे और यह संस्थानों के कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से अनुभवों, विचारों तथा प्रसंगों को साझा करने के लिए उसे सुकर बनाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) संस्थानों के कार्यकरण के लिए व्यापक नीति विषयक कार्य ढांचा अधिकथित करना ;

(ख) छात्रवृत्तियों, जिनमें नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों द्वारा अनुसंधान और उनके फायदे के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं, के संस्थान की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) सामान्य हित के ऐसे विषयों पर संस्थानों से विचार-विमर्श करना, जो किसी संस्थान द्वारा, उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(घ) संस्थानों के कार्यकरण में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना ;

(ङ) नीति विषयक उद्देश्यों की उपलब्धि का पुनर्विलोकन करना ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

परिषद् की बैठकें ।

31. परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

32. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

संस्थान की निधि ।

33. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई सभी धनराशियां, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में विनिहित की जाएंगी, जो संस्थान, बोर्ड के अनुमोदन से विनिश्चय करे ।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि, संस्थान के व्ययों को, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपगत व्यय भी हैं, चुकाने के लिए उपयोजित की जाएगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

34. (1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में और रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके दवारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पेंशन, बीमा और भविष्य निधि ।

35. (1) प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों, जिनमें निदेशक भी है, के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि नियत करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां, उपधारा (1) में निर्दिष्ट भविष्य निधि नियत की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को वैसे ही लागू होंगे, मानों वे सरकारी भविष्य निधि हैं ।

1925 का 19

अध्याय 6

प्रकीर्ण

रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

36. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद् या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य समिति का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

37. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों, सिनेट या परिषद् या संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति ;

(ख) वे परिस्थितियां और रीति, जिनमें परिषद् के किसी सदस्य को धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन हटाया जा सकेगा ;

(ग) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य ;

(घ) धारा 31 के अधीन परिषद् की बैठक का समय और स्थान, उसकी गणपूर्ति तथा उसमें कारबार संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, तैयार किया जाएगा ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम, परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि वह नियम, परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह, यथास्थिति, तत्पश्चात् नियम, परिनियम या अध्यादेश ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि इस प्रकार का कोई परिवर्तन या बातिलीकरण इस नियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

40. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

41. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी संस्थान का शासी बोर्ड, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले उस रूप में कार्य कर रहा है, तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए किसी नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड के गठन पर विद्यमान बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन से पहले पदधारण कर रहे हैं, पदधारण करने से प्रविरत हो जाएंगे :

(ख) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस अधिनयम के प्रारम्भ से ठीक पहले यथाप्रवृत्त विद्यमान संस्थानों के परिनियम और अध्यादेश तत्स्थानी संस्थानों को वहां तक लागू होते रहेंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

अनुसूची

[धारा 4 देखिए]

क्रम सं.	**विद्यमान संस्थान का नाम**	**तत्स्थानी संस्थान का नाम**
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली, हरियाणा ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कुंडली, हरियाणा ।
2.	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान तंजावुर, तमिलनाडु ।

———————